राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1770/2008/धौलपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, अजमेर .....अपीलार्थी

बनाम

मै0 श्री केला देवी ट्रेडर्स,
बसई नबाव धौलपुर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री जातिन हरजाई,
अधिकृत अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 18/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 57/उपा–भरत/07–08/आरएसटी में पारित आदेश दिनांक 09.04.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.032007 को अपास्त गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 16.032007 को वाहन संख्या यूपी–80–पी/9775 को निवाई इण्डस्ट्रीयल एरिया मेन चौराहे पर चैक किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने बिल एवं जी.आर. पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि वाहन में लदा माल सरसों तेल टोंक से बसई नबाब के लिए परिवहनित किया जा रहा था जबकि वाहन चालक द्वारा अपने बयानों में जाहिर किया गया कि उक्त माल का परिवहन खैरागढ(यू.पी.) के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(2)(4)(5) के तहत प्रत्यर्थी व्यवसायी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, कर निर्धारण अधिकारी ने दस्तावेजों को मिथ्या माने जाने के आधार पर माल की कीमत रू0 6,50,534/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति राशि रूपये 1,95,100/–व्यवसायी के विरूद्ध

लगातार.....2

अपने आदेश दिनांक 24.03.2007 द्वारा अधिरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 09.04.2008 द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को बहाल करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी–व्यवसायी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि परिवहनित माल के साथ सभी दस्तावेज मौजूद थे जिन पर समस्त विगत अंकित थी। बिल में 4 प्रतिशत कर वसूल किया हुआ था। प्रेषक/प्रेषिति दोनों पंजीकृत व्यवसायी थे। प्रस्तुत बिलों पर उनके टिन नं. भी अंकित थे एवं उनका इन्द्राज उनकी लेखा पुस्तकों में किया हुआ था जिनके समर्थन में स्टॉक रजिस्टर, खाता एवं नकल बही की छाया प्रतियां प्रस्तुत कर दी गई थी। उन्होने यह भी कथन किया कि वाहन चालक अनपढ व्यक्ति था उसके द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया जिसमें यह कहा गया कि वह माल का परिवहन खैरागढ के लिए कर रहा है। वाहन चालक से कुछ खाली कागजों पर अंगूठें के निशान लगवा लिये गये थे। वाहन चालक के बयानों के आधार पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि कैश बुक, लेजर एवं स्टॉक रजिस्टर में कांट छांट एवं ओवराईटिंग की गई। इस संबंध में यह मात्र एक लिपिकीय भूल हैं बिल नियमित रूप से संधारित बिल बुक से जारी किया गया था तथा विक्रेता फर्म के लेखा पुस्तकों में कांट छांट व बिल बुक में किसी भी गलती के आधार पर क्रेता फर्म पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति का आरोपण केवल संदेह के आधार पर तथा उनके दस्तावेजों को मिथ्या एवं कूटरचित साबित किये बिना मात्र शास्ति वसूलने के उद्धेश्य से किया गया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 545/1999 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बी.के.ट्रेडर्स निर्णय दिनांक 13.12.2002 का हवाला देते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ बिल व बिल्टी मौजूद थे जिन पर समस्त विगत अंकित थी।

लगातार.....3

प्रेषक/प्रेषिति दोनों पंजीकृत व्यवसायी थे। प्रेषक द्वारा उक्त माल से संबंधित इन्द्राजों की प्रतियां भी प्रस्तुत कर दी गई थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी की लेखा पुस्तकों की जांच पर भी उक्त माल का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में पाया गया था तथा जारी किया गया बिल भी नियमित बिल बुक से जारी किया जाना पाया गया। लेखा पुस्तकों पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये है। शास्ति का आरोपण जिन आधारों पर किया गया है वे आधार उचित प्रतीत नहीं होते है क्योंकि व्यवसाय स्थल के बारे में व्यवसायी द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी तथा इसके समर्थन में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति भी पेश कर दी गई थी। यह भी सही है कि राज्य के बाहर से माल का परिवहन करने पर इस प्रकार माल का परिवहन नियमित रूप से जारी किये गये बिल से किये जाने एवं करापवंचन की मनोदशा साबित नहीं होने के कारण शास्ति का आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2008 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष